



आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान
वेब साईट-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce>
ई मेल-hrd.cee@gmail.com फोन नं 0141-2705471

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2021/1340
आदेश

दिनांक: 15 सितम्बर, 2021

निम्नांकित व्याख्याताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय महाविद्यालयों में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.स.	नाम व्याख्याता (डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री)	विषय	राजकीय महाविद्यालय		वि.वि.
			कहाँ से	कहाँ पर	
1	बृज मोहन खत्री (RVRES)	एबीएसटी	फलौदी	देशनोक	
2	मगला शर्मा (RVRES)	हिन्दी	सूरतगढ	करणपुर	
3	सीताराम भार्गव (RVRES)	अंग्रेजी	खेतडी	सूरजगढ	
4	स्वपना जैन (RVRES)	लोक प्रशासन	शाहपुरा भीलवाडा	बगरु	
5	नरेश कुमार (RVRES)	हिन्दी	कालाडेशा	नवलगढ	

(संदेश नयक)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2021/1340

दिनांक: 15 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर को उनकी अ.शा.टीप.संख्या रा.म/उ.शि/2021/3497 दिनांक 13.09.2021 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. प्राचार्य सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय को अविलम्ब पालनार्थ प्रेषित कर लेख है जिन महाविद्यालयों में शून्य की स्थिति बनती है वहाँ आयुक्तालय की अनुमति के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
6. सम्बन्धित व्याख्याता को पालनार्थ।
7. वेबसाईट प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ.आर.सी.मीना)

संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर